कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी
जिला उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.)

दूरभाष (का.) 07868 –241222 (नि.) 222288, फैक्स (का.) 241801 (नि.) 222960

–:: संशोधित आदेश ::–

(दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत)

क्रमांक/कले/SW/2020/ 839 कांकेर, दिनांक 05 मई, 2020

नोवेल कोरोना वायरस (COVID-19) के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम हेतु गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली, के आदेश No.40-3/2020-DM-I(A)Dated 01 May 2020 में प्राप्त निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक A218/स.सा.प्र.वि/2020 नवा रायपुर अटल नगर दिनॉक 03.05.2020 के परिपालन में कार्यालयीन आदेश क्रमांक/कले/SW/2020/ 832 कांकेर, दिनांक 03 मई, 2020 द्वारा जिले में **केवल स्थापना अधिनियम के तहत रजिस्टर्ड दुकान/प्रतिष्ठानों को** संचालन की अनुमति दी गई है ।

कार्यालयीन आदेश क्रमांक/कले/SW/2020/ 832 कांकेर, दिनांक 03 मई, 2020 की कंडिका (1) एवं (2) में निम्नानुसार आंशिक संशोधन किया जाता है :–

- बर्तन दुकान, फर्नीचर दुकान, फोटो स्टूडियो, प्रिंटींग प्रेस/फ्लैक्स एवं मोबाईल शॉप– प्रतिदिन प्रातः 10.00 बजे से सांय 4.00 बजे तक खोलने की अनुमति होगी ।

- कपड़ा दुकान, जुता एवं चप्पल दुकान, ज्वेलर्स, कम्प्यूटर हार्डवेयर, मनीहारी (प्रोव्हिजन स्टोर्स) एवं फैंसी स्टोर्स– प्रतिदिन प्रातः 10.00 बजे से सांय 4.00 बजे तक खोलने की अनुमति होगी ।

- अत्यावश्यक सेवाओं से संबंधित प्रतिष्ठान – , मेडिकल स्टोर्स, दूग्ध दुकान, सब्जी एवं फल दुकान, पेट्रोल पंप एवं एलपीजी गैस संस्थान को छोड़कर सभी प्रतिष्ठान **सप्ताह में एक दिवस – मंगलवार को पूर्णतः बंद रहेंगी । इसका कड़ाई से पालन किया जावे ।**

- गुपचुप–चाट ठेला, नास्ता ठेला, फास्ट फूड ठेला, आइसक्रीम ठेला – सार्वजनिक जगहों पर एवं एक जगह पर स्थाई रूप से ठेला खड़ा कर विक्रय की अनुमति नहीं होगी । घर पहुँच सेवा के रूप में गली–मोहल्लों में प्रातः 10.00 बजे से सांय 4.00 बजे तक घूम–घूमकर विक्रय कर सकेंगे ।

आदेश की शेष शर्ते यथावत् रहेंगी

टीपः– उपरोक्त आदेश का उल्लघंन किए जाने की दशा में ऐपिडेमिक एक्ट 1897, भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188, भारतीय दण्ड संहिता 1973 की धारा 144 (1), पब्लिक एक्ट 1949, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60, छत्तीसगढ़ ऐपीडेमिक डीसीजेज कोविड–19 विनियम 2020 एवं अन्य सुसंगत प्रावधानों के तहत् जैसे लागू हो, के अंतर्गत विधिक दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी ।

(के. एल. चौहान)
कलेक्टर
एवं जिला दण्डाधिकारी
जिला उत्तर बस्तर कांकेर

"गढ़बो नवा छत्तीसगढ"

पृ. क्रमांक / कले / SW/2020 / 839-A

कांकेर, दिनांक 05 मई, 2020

प्रतिलिपि :–

1. अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह (पुलिस) विभाग, मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर अटल नगर की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित्।
2. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर अटल नगर की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित्।
3. आयुक्त महोदय, बस्तर संभाग, जगदलपुर की ओर सूचनार्थ संप्रेषित ।
4. पुलिस उप महानिरीक्षक कांकेर रेंज कांकेर।
5. पुलिस अधीक्षक, जिला उत्तर बस्तर कांकेर ।
6. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत जिला उत्तर बस्तर कांकेर।
7. सर्व अनुविभागीय दण्डाधिकारी, जिला उत्तर बस्तर कांकेर।
8. सर्व अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस), जिला उत्तर बस्तर कांकेर ।
9. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला उत्तर बस्तर कांकेर।
10. उप संचालक, जनसंपर्क, कांकेर को सूचनार्थ एवं समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु।
11. सर्व तहसीलदार एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी जिला उत्तर बस्तर कांकेर को पालनार्थ ।
12. सर्व मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, जिला उत्तर बस्तर कांकेर ।
13. सर्व मुख्य नगरपालिका अधिकारी नगरपालिका / नगर पंचायत जिला उत्तर बस्तर कांकेर।
14. अध्यक्ष, चेम्बर ऑफ कॉमर्स जिला उत्तर बस्तर कांकेर।

कलेक्टर
एवं जिला दण्डाधिकारी
(A) जिला उत्तर बस्तर कांकेर